



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.वी.-अ.-11082026-275372
CG-WB-E-11082026-275372

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4268]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2026/श्रावण 20, 1948

No. 4268]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2026/SHRAVAN 20, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्व रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

कोलकाता, 11 अगस्त, 2026

का.आ. 4446(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, “गोड्डा-पाकुड़/नगरनबी नई लाइन” परियोजना के भूमि अधिग्रहण हेतु झारखंड के गोड्डा, पाकुड़ एवं दुमका जिले में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा.सं. मु. प्र. अ./नि./ भू./333]

मनोज खाँ, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[Eastern Railway (Construction Department)]****NOTIFICATION**

Kolkata, the 11th August, 2026

S.O. 4446(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “**Godda-Pakur/Nagarnabi New line**” as **Special Railway Project** for acquisition of land in Godda, Pakur and Dumka districts of Jharkhand, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. CAO/Con/L/333]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer (Con.)